न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 87 / 2013

1 मृतक मुस्लिम पुत्र स्व. इबन अली जाति पीरजादा मुसलमान निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील देहान्त हो गया।
1/1 खुर्शीदा आयु 37 साल पुत्री मुस्लिम हुसैन
1/2 फातिमा आयु 32 साल पुत्री मुस्लिम हुसैन
1/3 जाकिर आयु 30 साल पुत्र मुस्लिम हुसैन
1/4 साकीर आयु 28 साल पुत्र मुस्लिम हुसैन
जाति पीरजादा मुसलमान निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 सचिव नरहड़ दरगाह कमेटी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
चिड़ावा मु.नं. 111 / 09 उनवानी मुस्लिम हुसैन सचिव
नरहड़ दरगाह

उपस्थिति :
1. श्री मोहम्मद रफीक, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

–निर्णय–

दिनांकः– 5/5/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 111/2009 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर ग्राम नरहड़ हाल सुल्ताना का बास की भूमि खसरा नम्बर 1078, 1081, 1082, 1083, 1084 के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का आवेदन स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर विवाधक बिन्दु तय किय जाने के बाद सुनवाई सुनवाई की जाकर गुणावगुण के आधार पर सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर बहस सुन शीघ्र ही वाद को अंतिम रूप से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर निर्णय देते समय वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी खसरा गिरदावरी व लगान रसीदों का निरीक्षण किये बिना ही निर्णय दिया है उक्त वादग्रस्त आराजियात गत खसरा नम्बर 553 रकबा 19 बीघा 10 बिश्वा में हिस्सा 1/3 की 6 बीघा 10 बिश्वा रकबा संवत 2012 से लेकर संवत 2024 के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व खसरा गिरदावरी में प्रार्थी/अपीलान्ट के पिता इबन अली पुत्र अलाउदीन के नाम से दर्ज रही है व प्रार्थी/अपीलान्ट का पिता व पिता की मृत्यु के बाद स्वयं प्रार्थी/अपीलान्ट उक्त भूमि का लगान राज्य सरकार को अदा करता रहा है तथा प्रार्थी/अपीलान्ट आज भी अपनी उक्त आराजियात को शांति पूर्वक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

काश्त कर रहा है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपना वाद गत खसरा नम्बर 553 रकबा 19 बीघा 10 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 966 रकबा 1.38 हैक्टेयर तथा ग्राम नरहड़ की सींव में नया राजस्व रिकार्ड ग्राम सुलताना का बास बनने पर हाल खसरा नम्बर 1081 रकबा 1.38 हैक्टेयर की खातेदारी घोषित किये जाने बाबत ही वाद प्रस्तुत किया था शेष भूमि बाबत वादी ने वाद में कोई क्लेम नहीं किया था उक्त गत खसरा नम्बर 553 में से 6 बीघा 10 बिश्वा शुरू से ही प्रार्थी/अपीलान्ट के कब्जे काश्त की रही है, लेकिन संवत 2024 के बाद उक्त आराजियात गलती से कस्टोडियन विभाग में दर्ज कर दी गयी और वर्तमान में भी उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि कभी भी वक्फ के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी वक्फ की सम्पति नहीं रहीं है एवं ना ही कभी वक्फ बोर्ड का कब्जा ही रहा है उक्त वादग्रस्त आराजियात पर आज भी प्रार्थी/अपीलान्ट ही काबिज काश्त है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अ. आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में विचारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण व वक्फ की सम्पति होने के कारण वाद खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने वाद खारिज किया है। कानूनन विचारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर तनकी हाल कायम की व साक्ष्य लेकर बाद में निर्णय किया जाना चाहिए था लेकिन विचारण न्यायालय ने बिना माईण्ड अप्लाई किये ही वाद खारिज किया है चूंकि उक्त भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन के नाम से दर्ज है एवं कस्टोडियन की कृषि भूमि है इसलिए उक्त वाद की सुनवाई का एक मात्र अधिकार राजस्व न्यायालय को है इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नही कर कानूनी भूल की है तथा दूसरा उक्त भूमि कभी भी वक्फ बोर्ड की सम्पति नहीं रही है एव ना ही वक्फ बोर्ड के नाम से ही दर्ज है ना ही इस प्रकार का कोई दस्तावेज ही रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय में पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया अनुसार तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं कर आदेश 07 नियम 11 के तहत वाद खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

गई है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021(2) पेज 1283 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 26 एवं नवीन अधिनियम 1985 की धारा 37 के तहत रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि वक्फ में रजिस्टर्ड होने से इसके संदर्भ में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर राजस्थान राज्य में वक्फ सम्पतियों के लिये स्थापित अधिकरण को है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 105, सीजे सिविल 2020(1) पेज 245 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण प्रश्न है विवादित भूमि वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 26 एवं नवीन अधिनियम 1985 की धारा 37 के तहत रजिस्टर्ड है। विवादित भूमि वक्फ में रजिस्टर्ड होने से इसके संदर्भ में सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर राजस्थान राज्य में वक्फ सम्पतियों के लिये स्थापित अधिकरण को है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट ने अपने अपील मेमों में विवादित भूमि कस्टोडियन में दर्ज होना स्वयं स्वीकार किया है। कस्टोडियन की भूमि के संदर्भ में अपीलांट ने अपील मेमों के बिन्दु संख्या 4 व 5 में भी अंकित किया है। विधि अनुसार कस्टोडियन भूमि के संदर्भ में भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस हेतु अलग से विधिक प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर